फतेहगढ़ पुलिस

युवक गिरफ्तार, देशी शराब बरामद

संसू, जहानगंज : दारोगा अजय कुमार सिंह ने गश्त के दौरान शमसाबाद के गांव चिलसरा निवासी नीरज को करीमगंज गांव के निकट से संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। युवक के झोले में 26 पौआ देसी शराब के मिले। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा गड़ाखेड़ा निवासी गोपाल को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को जमानत पर छोड़ दिया।

शराब सहित युवक गिरफ्तार

कमालगंज : गश्त के दौरान दरोगा नागेंद्र सिंह ने आजाद नगर निवासी हसीन को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। -संसू

सटोरिया गिरफ्तार

फर्रुखाबाद : मऊदरवाजा पुलिस ने मोहल्ला अस्तलबल तराई निवासी छोटू को सट्टा की खाईबाड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से नकदी व सट्टा पर्ची बरामद की गई। – जासं

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में दी गयी जानकारी

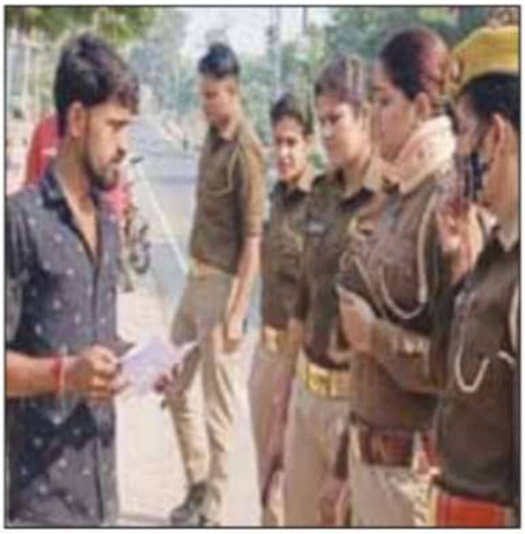

युवक को पत्रक देती महिला पुलिस कर्मी

फर्रुखाबाद 16 नवम्बर। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के आदेश पर जनपद की महिला सुरक्षा विशेष दल द्वारा महिलाओं को उनके सम्मान, सुरक्षा, स्वाबलंबन के लिए विस्तृत रुप से जानकारी दी गयी। महिला पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं, बालिकाओं को अवगत कराया गया कि शासन के आदेश पर जनपद के प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। जिसके माध्यम से महिलायें अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकती हैं। महिला पुलिस कर्मियों द्वारा यह भी बताया गया कि शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जिनका प्रयोग अपने सेल फोन के माध्यम से करके महिलायें, बालिकायें अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकती हैं। शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नंबरों में 1090, 1098, 1076, 181, 112 पर अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकती हैं।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

यातायात माह : कैम्प लगाकर चालक व परिचालकों का किया गया नेत्र परीक्षण

वाहन चालकों को रोककर कराया गया चेकअप, दिये गये आई ड्राप व दवाऐं

यूथ इण्डिया संवाददाता

फर्रुखाबाद। यातायता माह के तहत शहर कोतवाली क्षेत्र की चौकी आवास विकास में कैम्प लगाकर वाहन चालकों व परिचालकों की आंखों की जांच की गई। एक सैकडा से अधिक चालक और परिचालकों का परीक्षण करने के बाद उन्हें दवाऐं भी मुहैया कराई गई है।

यातायात माह के तहत यातायात प्रभारी रजनीश कुमार ने सीओ सिटी प्रदीप सिंह शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला की मौजूदगी में आवास विकास चौकी में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया। जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौन में तैनात नेत्र चिकित्सक डा0 सुनीत मिश्रा अपनी टीम के साथ परीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां यातायात प्रभारी व उनकी टीम ने ई रिक्शा चालकों टैम्पो चालकों और रोडवेज के चालकों तथा परिचालकों को रोककर उनका नेत्र परीक्षण करवाया। साथ ही जरूरत के मुताबिक उन्हें आंखों के ड्राप तथा दवाऐं भी मुहैया कराई है। यहां लगभग 114 चालक और परिचालकों के नेत्र परीक्षण किये गये है। जिन चालक या परिचालक की आंखों में मोतियाबिन्द जांच में पाया गया उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह भी दी गई। इस मौके पर यातायात प्रभारी रजनीश कुमार ने चालकों और परिचालकों को सलाह दी कि वह लोग समय समय पर अपनी आंखों की जांच कराते रहे क्योंकि वाहन चलाते समय नजर तेज होना बहुत जरूरी है। यदि नजर खराब हो गई तो वाहन चालाना किसी खतरे से खाली नही है। सीओ सिटी प्रदीप सिंह ने कहा कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें आंखों के अलावा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें समय समय पर जांच कराते रहे। शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि आंखों की केयर करना बेहद जरूरी है। इस लिए आंखों की जांच कराते रहे और जरूरत पडने पर उनका उपचार भी करायें।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

चालकों का किया गया नेत्र परीक्षण

फर्रुखाबाद। यातायात माह में बुधवार को शहर की आवास विकास चौकी पर नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। आटो, बस चालकों का नेत्र परीक्षण किया गया। सीओ सिटी प्रदीप सिंह, शहर कोतवाल विनोद शुक्ला के अलावा यातायात प्रभारी भी मौजूद रहे। चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। कहा गया कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें। इसमें कोई लापरवाही न करें। वाहन चलाते समय नींद आये तो वाहन को रोक लें। स्पीड पर नियंत्रण रखें।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

दो भाइयों सहित तीन को 10 वर्ष की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी

33 वर्ष पहले जानलेवा हमले का मामला

फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एंटी डकैती न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने 33 वर्ष पहले हुए जानलेवा हमले व लूट में दो भाइयों सहित तीन को 10 वर्ष की सजा सुनाई। रास्ते में विवाद में गोली लगने से तीन भाई घायल हो गए थे।

कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव याहियापुर निवासी नईम अली के खेत में 24 अक्तूबर 1989 को गांव के अशफाक हसन व अन्य लोग जबरन रास्ता निकाल रहे थे। नईम के विरोध करने पर अशफाक हसन उनके साथियों ने फायरिंग कर दी।

गोली लगने से नईम, भाई मुजफ्फर अली, वसीम अली घायल हो गए थे। नईम ने अशफाक हसन खां, भाई आफताब अहन खां, गांव रजी हसन खां उर्फ सोनू के खिलाफ जानलेवा हमला व रुपये लूटने का मुकदमा दर्ज कराया था।

विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अशफाक हसन, आफताब हसन, रजी हसन खां को सजा सुनाई।

इसके अलावा 26 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना न देने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

जानलेवा हमले में तीन लोगों को 10 साल का कारावास

34 वर्ष पूर्व दिया था घटना को अंजाम, फायरिंग में तीन लोग हुए थे घायल

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : भूमि पर कब्जे की रंजिश के चलते 34 वर्ष पूर्व हुई फायरिंग में तीन लोग घायल हो गए थे। इस मामले में एंटी डकैती न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाते हुए 26-26 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव याहियापुर निवासी नईम अली खां ने 24 अक्टूबर 1989 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि गांव के ही इश्तियाक हसन खां, अशफाक हसन खां, आफताब हसन व रजी हसन खां उर्फ सोनू से भूमि पर कब्जे को लेकर उनकी रंजिश चल रही थी। खेत पर काम करते समय विवाद होने लगा। इस पर आरोपित असलहे लेकर आए और फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से वह, उनके भाई मुजफ्फर अली व वसीम घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपितों ने उनके सामने भी गालीगलौज किया। इस मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान एडीजीसी कृष्ण कुमार पांडेय, संजीव कुमार मिश्र, भानुप्रकाश मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अशफाक, आफताब व रजी हसन को दोषी करार देते हुए जानलेवा हमले में 10 वर्ष की कैद व, 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा लूटपाट करने में सात वर्ष की कैद, 5-5 हजार रुपये जुर्माना व धमकी देने में दो वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद के आदेश दिए हैं। मुकदमे के एक अन्य आरोपित इश्तियाक हसन की मुकदमा विचारण के दौरान मौत हो गई।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

शिकायतों के निस्तारण में नौ थाने प्रदेश में प्रथम

फर्रुखाबाद। आईजीआरएस पर आई शिकायतों के निस्तारण में जनपद के नौ थाने प्रदेश में पहले स्थान पर रहे। एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने अन्य थानेदारों को भी समय से प्रार्थना पत्र के निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश स्तर पर थानेवार समीक्षा में जनपद की कोतवाली फर्रुखाबाद, कायमगंज, मोहम्मदाबाद, थाना अमृतपुर, शमसाबाद, मेरापुर, नवाबगंज, राजेपुर व महिला थाने को आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में प्रथम स्थान मिला है। एसपी अशोक कुमार मीणा, एएसपी अजय प्रताप सहित सर्किल के सभी सीओ ने थानेदारों को बधाई दी। अन्य थानेदारों को भी शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। (संवाद)

शिकायतों के निस्तारण में नौ थाने प्रदेश में अव्वल

फर्रुखाबाद, संवाददाता। आईजीआरएस से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में जिले के नौ थाने प्रदेश में प्रथम स्थान पर आए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो भी शिकायतें आएं उनका समय रहते अच्छे ढंग से समाधान करें जिससे कि जिले के सभी थाने प्रदेश में पहला स्थान पा सकें। अब जो यहां मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट आईजीआरएस से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में सामने आयी है उसमें शहर कोतवाली, कायमगंज, मोहम्मदाबाद के अलावा अमृतपुर, शमसाबाद, मेरापुर, नवाबगंज और राजेपुर व महिला थाना प्रदेश में प्रथम स्थान पाया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नौ थानों द्वारा प्रदेश स्तर रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि अच्छे ढंग से थानों पर काम हों। आईजीआरएस पर जो शिकायतें आएं उसमें किसी तरह की लापरवाही न करें।

मीडिया सेल